न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- चेतन चौहान, आर.ए.एस. कार्यवाहक जिला कलक्टर

मुकदमा नम्बर :- 04 / 2022

उनवान प्रकरण:- (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2022 / 88)

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

1–शिवकुमार पुत्र श्री नत्थीलाल लोधा जाति लोधा निवासी मरैना प्रोपराइटर मरैना इण्डेन तहसील राजाखेडा।

2–विक्रय अधिकारी इण्डेन, आई.ओ.सी.एल. सवाईमाधोपुर/धौलपुर

3–ओमवीर पुत्र अजमेर सिंह उम्र 33 वर्ष जाति लोधा निवासी नसीलपुर ग्रा.पं.लालपुर

4–पंकज पुत्र श्रीनिवास उम्र 21 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मरैना तहसील राजाखेडा

5–धर्मेन्द्र पुत्र रामेश्वर उम्र करीव 25 वर्ष जाति राजपूत निवासी मरैना तहसील राजाखेडा

———————————–अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– श्री गजेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी धौलपुर

2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसमाकर गर्ग एडवोकेट

निर्णय

दिनांक **17.01..2023**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार, धौलपुर व अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एल.पी.जी. के अवैध भण्डारण, कालाबाजारी एवं रिफिलिंग सम्बधीं जांच दिनांक 27.12.2022 को की गई। जांच में आदेशानुसार डिकॉय कस्टमर (श्री नरेन्द्र मित्तल एवं श्री बने सिंह गुर्जर) बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों की मांग कर सैपऊ रोड पचगांव स्थित लाठखेडा हनुमान जी के मंदिर पर गैस सिलेण्डर आपूर्तिकर्ता को बुलाया गया। डिकॉय उपभोक्ताओं द्वारा दूरभाष पर सिलेण्डरों से भरा ट्रेक्टर पहुंचने की सूचना मिलने पर जांच दल ने मौके पर पहुंच कर जांच की। मौके पर पुलिस जाप्ता उपस्थित रहा। जांच में निम्न स्थितियां पाई गई –:

1. ट्रेक्टर की जांच की जाने पर ट्रेक्टर में कोई भी नंबर प्लेट लगा होना नहीं पाया गया। देखे जाने पर ट्रेक्टर 241 DI MASSEY FURGUSON लाल रंग तथा ट्रोली पीले रंग की जिस पर मरैना इण्डेन गैस एजेंसी, 9602872740, 9982720864, 7727965257 अंकित होना पाया गया।

2. मौके पर ट्रेक्टर ट्रोली में जांच किये जाने पर 49 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर व 18 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) गैस सिलेण्डर होना पाये गये। जिनकी फर्द तलपट्टी प्रथक से बनाई गई।

3. मौके पर डिकॉय उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेण्डरों हेतु ट्रेक्टर चालक/डिलीवरी बॉय पंकज को दिये गये सीरियल नम्बर 3AW111296 & 3AW111297 के पांच सौ रूपये के दो नोट जब्त किये गये तथा लाठ खेडा हनुमानजी मंदिर परिसर पर उतारे गये 15 गैस सिलेण्डर की तलपट्टी भी मौके पर बनाई गई।

4. उक्त गैस सिलेण्डरों सम्बधीं दस्तावेज तथा प्राधिकृत दस्तावेजों हेतु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी डिलीवरी बॉय पंकज तथा हेल्पर धर्मेन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये, उनके द्वारा उक्त के सम्बध में कोई भी दस्तावेज स्वंय के पास नहीं होना बताया गया और न ही इस बावत कोई संतोषप्रद जबाव दिया गया।

5. गैस सिलेण्डरों के सम्बध में पूछे जाने पर डिलीवरी बॉय ने 15 घरेलू गैस सिलेण्डर गैस एजेंसी मैसर्स मरैना इण्डेन, मरैना तहसील राजाखेडा के मालिक श्री ओमवीर द्वारा लाठखेडा हनुमानजी पर पहुंचाने हेतु कहा जाना बताया, मौके पर एण्ट्री रजिस्टर भी जब्त किया गया।

मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध व्यापार एवं कालाबाजारी करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लघंन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर धौलपुर शहर स्थित शिवेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री साजिद खान पुत्र श्री नौसाद खान उम्र 22 वर्ष जाति मुस्लिम निवासी बडा पीर पुराना शहर, धौलपुर मोबाइल नंबर 8209045047 की सुपुर्दगी में दिया गया। इसके साथ ही ट्रेक्टर को ट्रोली सहित पुलिस चौकी पचगांव के इंचार्ज श्री रघुवीर सिंह पद एस.सी. 214 की सुपुर्दगी में दिया गया।

अतः निवेदन है कि 82 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 464.5 किलोग्राम व 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) सिलेण्डरों को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि एल.पी. जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए(2)आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, अभिग्रहण एंव सुपुर्दगीनामा दिनांक 27.12.2022, नजरी नक्शा दिनांक 27.12.2022, फर्द तलपटटी दिनांक 27.12.2022, मौका बयान पंकज, मौका बयान धर्मेन्द्र एवं एन्ट्री रजिस्टर पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस नोटिस के सम्बंध में अपना पक्ष रखना चाहते हों या कोई दस्तावेज आदि पेश करना चाहते हों तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 लगा05 की ओर से श्री कुसमाकर गर्ग एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने जबाव में कथन किया है, कि प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार एवं कालाबाजारी नहीं की है। इस कारण प्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 का कोई उंल्लघन नहीं किया है। प्रार्थी एक रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी एल.पी.जी. गैस वितरण कर्ता है। प्रार्थी की मरैना इण्डेन के नाम से गैस एजेंसी तहसील राजाखेडा में है। प्रार्थी द्वारा बिना बुकिंग के किसी को किसी भी सिलेण्डर का वितरण नहीं किया जाता है। प्रार्थी ग्राम पचगांव की तरफ से गैस सिलेण्डरों का वितरण करते हुए आ रहा था, वहां पहले से मौजूद प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर को रूकवाकर प्रार्थी के कर्मचारी पंकज व धर्मेद्र के मोबाइल छुडा लिये। प्रार्थी के कर्मचारियों के मोबाइल में मरैना इण्डेन नाम से ग्रुप बना है, जिस ग्रुप में ऑन स्पॉट बुकिंग आती है। उनकी कोई पर्ची नहीं होती। जब्तशुदा 89 गैस सिलेण्डर मुझ प्रार्थी फर्म के है, जिन्हे प्रार्थी अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने का अधिकारी है। जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को प्रार्थी की सुपुर्दगी में प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी ने अपनी जबाव के साथ 89 गैस सिलेण्डरों के गेटपास की फोटो प्रति एवं उपभोक्ताओं द्वारा गैस बुकिंग की पर्चियां प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी–2 ने अपने जबाव में कथन किया है, कि प्रकरण में सीनियर सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिगार्डिंग के रूप में 89 एल.पी.जी. सिलेण्डरों की जब्ती के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है, कि मामले से पार्टी के रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता को हटा दें क्योंकि दिन प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑपरेशन हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, और यह डिस्ट्रीब्यूटर की मुख्य जिम्मेदारी है। हम सरकारी पीएसयू होने के नाते धौलपुर जिला प्रशासन को पूर्ण सिंक्रनाइजेशन और संभव सहायता प्रदान करने के काम कर रहे है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को मुख्या सवाईमधोपुर में तैनात किया गया है जो धौलपुर 220 कि.मी. है। जब भी कोई उल्लघंन पाया जाता है तो कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी संख्या–3 ओमवीर सिंह ने अपने जबाव में कथन किया है, कि प्रार्थी ने कभी भी कोई सिलेण्डर लाठ खेडा हनुमानजी पर पहुंचाने हेतु किसी व्यक्ति से नहीं कहा। प्रार्थी उक्त फर्म का न तो मालिक है और न ही प्रोपराइटर प्रार्थी उक्त फर्म में कोई साझेदार भी नहीं है। जब्तशुदा सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। और न ही जब्तशुदा सिलेण्डरों को प्रार्थी अपनी अभिरक्षा मे प्राप्त करना चाहता है। अतः प्रार्थना है, कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

अप्रार्थी संख्या–4 पंकज ने अपने जबाव में कथन किया है, कि प्रार्थी फर्म मरैना इण्डेन में सप्लायर धर्मेन्द्र के साथ वतौर हैल्पर नियुक्त है, तथा धर्मेन्द्र के कहे अनुसार उसके साथ कार्य करता है। प्रार्थी ने कभी भी किसी को किसी भी सिलेण्डर का वितरण नहीं किया है। प्रार्थी उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का न तो स्वामी है और न ही आधिपत्यधारी है। प्रार्थी उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर बावत कोई क्लेम भी नहीं चाहता है।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर
प्रकरण संख्या 04/2023 ...
सरकार बनाम शिवकुमार वगैरा

अतः प्रार्थना है, कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 धर्मेन्द्र ने अपने जवाब में कथन किया है, कि प्रार्थी मरैना इण्डेन में सप्लाई का कार्य करता है। प्रार्थी धौलपुर में फर्म के उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर सप्लाई करता है। प्रार्थी द्वारा जिन सिलेण्डरों की सप्लाई की जाती है वह नियमानुसार की जाती है। नियम विरुद्ध प्रार्थी द्वारा किसी भी सिलेण्डर की सप्लाई नही की जाती है। जब्तशुदा सिलेण्डरों को प्रार्थी न तो रजिस्टर्ड स्वामी है और न ही मालिक प्रार्थी उक्त सिलेण्डरों बावत कोई कार्यवाही नही चाहता है। अर्थात कोई क्लेम प्रस्तुत नही कर रहा है। अतः प्रार्थना है, कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

अप्रार्थी शिवकुमार द्वारा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करने हेतु दिनांक 16.01.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पत्रावली कार्यालय से तलब होकर प्रकरण में सुनवाई हेतु तारीख 17.01.2023 नियत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि दिनांक 27.12.2022 को डिकॉय कस्टमर (श्री नरेन्द्र मित्तल एवं श्री बने सिंह गुर्जर) बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों की मांग कर रीपऊ रोड पचगांव स्थित लाठखेडा हनुमान जी के मंदिर पर गैस सिलेण्डर आपूर्तिकर्ता को बुलाया गया। डिकॉय उपभोक्ताओं द्वारा दूरभाष पर सिलेण्डरों से भरा ट्रेक्टर पहुंचने की सूचना मिलने पर जांच दल ने मौके पर पहुंच कर जांच की। मौके पर ट्रेक्टर ट्रोली में जांच किये जाने पर 49 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर व 18 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) गैस सिलेण्डर होना पाये गये। मौके पर डिकॉय उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेण्डरों हेतु ट्रेक्टर चालक/डिलीवरी बॉय पंकज को दिये गये सीरियल नम्बर 3AW111296 & 3AW111297 के पांच सौ रूपये के दो नोट जब्त किये गये तथा लाठ खेडा हनुमानजी मंदिर परिसर पर उतारे गये 15 गैस सिलेण्डर की तलपटटी भी मौके पर बनाई गई। उक्त गैस सिलेण्डरों सम्बधीं दस्तावेज तथा प्राधिकृत दस्तावेजों हेतु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी डिलीवरी बॉय पंकज तथा हेल्पर धर्मन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। गैस सिलेण्डरों के सम्बध में पूछे जाने पर डिलीवरी बॉय ने 15 घरेलू गैस सिलेण्डर गैस एजेंसी मैसर्स मरैना इण्डेन, मरैना तहसील राजाखेडा के मालिक श्री ओमवीर द्वारा लाठखेडा हनुमानजी पर पहुंचाने हेतु कहा जाना बताया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध व्यापार एवं कालाबाजारी करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लघंन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किये गये है। प्रकरण में जब्त 82 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 464.5 किलोग्राम व 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहरात हुये कथन किया कि अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार एवं कालाबाजारी नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 का कोई

उल्लघन नही किया है। अप्रार्थी एक रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी एल.पी.जी. गैस वितरण कर्ता है। अप्रार्थी की मरैना इण्डेन के नाम से गैस एजेंसी तहसील राजाखेडा में है। अप्रार्थी द्वारा बिना बुकिंग के किसी को किसी भी सिलेण्डर का वितरण नहीं किया जाता है। अप्रार्थी ग्राम पचगांव की तरफ से गैस सिलेण्डरों का वितरण करते हुए आ रहा था, वहां पहले से मौजूद प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर को रूकवाकर अप्रार्थी के कर्मचारी पंकज व धर्मेद्र के मोबाइल छुडा लिये। अप्रार्थी के कर्मचारियों के मोबाइल में मरैना इण्डेन नाम से ग्रुप बना है, जिस ग्रुप में ऑन स्पॉट बुकिंग आती है उनकी कोई पर्ची नहीं होती। जब्तशुदा 89 गैस सिलेण्डर मुझ अप्रार्थी फर्म के है। धौलपुर में मरैना इण्डेन ऐजेन्सी के उपभोक्ता है जिनको गैस सप्लाई की जाती है। दौराने बहस उन्होने मौके पर ऑन लाईन बुंकिग की रसीदें पेश की है। प्रकरण में जब्तशुदा 89 गैस सिलेण्डर अप्रार्थी धौलपुर मरैना इण्डेन ऐजेन्सी को वापस दिये जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अबलोकन किया। प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि दिनांक 27.12.2022 को डिकॉय कस्टमर (श्री नरेन्द्र मित्तल एवं श्री बने सिंह गुर्जर) बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों की मांग कर सैपऊ रोड पचगांव स्थित लाठखेडा हनुमान जी के मंदिर पर गैस सिलेण्डर आपूर्तिकर्ता को बुलाया गया। डिकॉय उपभोक्ताओं द्वारा दूरभाष पर सिलेण्डरों से भरा ट्रेक्टर पहुंचने की सूचना मिलने पर जांच दल ने मौके पर पहुंच कर जांच की। मौके पर ट्रेक्टर ट्रोली में जांच किये जाने पर 49 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर व 18 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) गैस सिलेण्डर होना पाये गये। मौके पर डिकॉय उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेण्डरों हेतु ट्रेक्टर चालक/डिलीवरी बॉय पंकज को दिये गये सीरियल नम्बर 3AW111296 & 3AW111297 के पांच सौ रूपये के दो नोट जब्त किये गये तथा लाठ खेडा हनुमानजी मंदिर परिसर पर उतारे गये 15 गैस सिलेण्डर की तलपटटी भी मौके पर बनाई गई। उक्त गैस सिलेण्डरों सम्बधीं दस्तावेज तथा प्राधिकृत दस्तावेजों हेतु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी डिलीवरी बॉय पंकज तथा हेल्पर धर्मन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। गैस सिलेण्डरों के सम्बध में पूछे जाने पर डिलीवरी बॉय ने 15 घरेलू गैस सिलेण्डर गैस एजेंसी मैसर्स मरैना इण्डेन, मरैना तहसील राजाखेडा के मालिक श्री ओमवीर द्वारा लाठखेडा हनुमानजी पर पहुंचाने हेतु कहा जाना बताया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध व्यापार एवं कालाबाजारी करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लघंन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किये गये है।

अप्रार्थी संख्या–1 शिवकुमार ने अपनी बहस में यह तर्क है कि अप्रार्थी एक रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी एल.पी.जी. गैस वितरण कर्ता है। अप्रार्थी की मरैना इण्डेन के नाम से गैस एजेंसी तहसील राजाखेडा में स्थित है। अप्रार्थी ग्राम पचगांव की तरफ से गैस सिलेण्डरों का वितरण करते हुए आ रहा था, वहां पहले से मौजूद प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर को रूकवाकर अप्रार्थी के कर्मचारी पंकज व धर्मेद्र के मोबाइल छुडा लिये। अप्रार्थी के कर्मचारियों के मोबाइल में मरैना इण्डेन नाम से ग्रुप बना है, जिस ग्रुप में ऑन स्पॉट बुकिंग आती है उनकी कोई पर्ची नहीं होती। धौलपुर में मरैना इण्डेन ऐजेन्सी के उपभोक्ता

है जिनको गैस सप्लाई की जाती है। अप्रार्थी ने अपने जबाव के साथ 89 गैस सिलेण्डरो के गेटपास की फोटो प्रति एवं उपभोक्ताओं द्वारा गैस बुकिंग की पर्चियां प्रस्तुत की है इससे यह सावित होता है कि जब्त शुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण हेतु अपनी गैस ऐजेन्सी से लाये गये थे परन्तु लाठ खेडा हनुमानजी मंदिर परिसर पर उतारे गये 15 गैस सिलेण्डर के संबध में अप्रार्थी ने अपने जबाव में कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही इस सम्बध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। इस सम्बध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका बयान धर्मेन्द्र पुत्र रामेश्वर तथा पंकज पुत्र श्रीनिवास का अवलोकन किया उसने अपने बयानों में यह अंकित किया है कि मैं मरैना इण्डेन वितरक एजेन्सी पर डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत हूँ। हमें सुबह 10 बजे से गैस वितरण हेतु मरैना से धौलपुर गाडी से भेजा जाता है। लाठखेडा हनुमानजी सैपऊ रोड पंचगॉव पर 15 घरेलू सिलेण्डर हेतु गैर एजेन्सी के मालिक ओमवीर ने जाने व सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु भेजा था। गैर सिलेण्डरों को देने के लिए श्री नरेन्द्र जी से दूरभाष पर बात की थी। गैर सिलेण्डर की कीमत 1080–1130 के बीच में देना तय हुआ था। गैस सिलेण्डरों से सबंधित कोई भी कागज या दस्तावेज हमें पृथक से नहीं दिये जाते है और न ही इस संबध में कोई गैस डायरी इत्यादि दस्तावेज मेरे पास है। मालिक द्वारा बताये अनुसार 15 भरे हुये घरेलू गैर सिलेण्डर मैने लाठाखेडा हनुमान मंदिर पर उतारे दिये है। इससे यह सावित होता है कि उक्त 15 भरे हुये घरेलू गैर सिलेण्डरों का वितरण अधिक कीमत पर एवं अवैध रूप से किया जाना सावित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 82 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 464.5 किग्रा व 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) सिलेण्डरों में से 15 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये मय एल.पी.जी. 211.2 किग्रा को राजसात किया जाना उचित समझते है तथा शेष 67 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 253.3 किग्रा एवं 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) सिलेण्डरों को अप्रार्थी संख्या–1 शिवकुमार पुत्र श्री नत्थीलाल जाति लोधा निवासी मरैना प्रोपराइटर मरैना इण्डेन तहसील राजाखेडा को वापस दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 82 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 464.5 किग्रा व 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) सिलेण्डरों में से 15 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये मय एल.पी. जी. 211.2 किग्रा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर
मुकदमा नम्बर 06/2022 राजकीय
सरकार बनाम शिवकुमार लोधा

दृष्टि से जो भी उपाय होते है, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे तथा शेष 67 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एजेन्सी की 2553 किया एवं 07 खाली वाणिज्यिक (एन.डी.) सिलेण्डरों को अप्रार्थी संख्या 1 शिवकुमार पुत्र श्री नत्थीलाल जाति लोधा निवासी मरैना प्रोपराइटर मरैना इण्डेन तहसील राजाखेड़ा को वापस किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन चौहान)
कार्यवाहक जिला कलक्टर,
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)